

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ ।

सेवा में

सभी डी0डी0ओ0,
श्रम विभाग, हरियाणा ।

कमांक: स्था/04/2025/

1708-62

दिनांक: 17/01/25

विषय:- ऑन लाईन स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

जैसाकि आपको विदित है कि विभाग में श्रम निरीक्षकों, सहायकों व लिपिकों के स्थानान्तरण हेतु On Line Transfer Drive अमल में लाई जा रही है। जिसके लिये सभी डी0डी0ओ0 द्वारा कर्मचारियों का स्कोर वैरीफाई उपरांत फ्रिज किया जा चुका है। उक्त स्कोर को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाना है। इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधिनस्थ उन कर्मचारियों बारे निम्न सूचना भिजवाये, जिन द्वारा कपल केस के तहत 5 अंक प्राप्त किये गये हैं:-

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम व पद	कार्यालय का नाम	Spouse नाम, पद व विभाग का नाम (alongwith payee code)	Spouse की नियुक्ति रेगुलर/अनुबंध/एच0 के0 आर0 एन0 व अन्य

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सूचना आज दिनांक 17.01.2025 को सांय 5.00 बजे तक ई-मेल (establishment456@gmail.com) के माध्यम से शीघ्र अति शीघ्र भिजवाये।



लेखा अधिकारी-कम-नोडल अधिकारी,
ऑन-लाईन स्थानान्तरण नीति, श्रम विभाग, हरियाणा
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।